आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख के साथ
20-09-2021	अभिलेख उपस्थापित। यह अभिलेख हरेन्द्र देवगम, पिता– स्व० गंगा राम देवगम, निवासी ग्राम– मतकमहातु (महुलसाई), पो०– चाईबासा, थाना– मुफ्फरिल, परगना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम जो अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत 'हो' जाति के है, के द्वारा खाता संख्या– 30, प्लॉट संख्या– 1310, रकवा– 0.03 डिसमिल 143 वर्गकड़ी भूमि जो मौजा– मतकमहातु, थाना संख्या– 642, परगाना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है, जो क्रेता शान्ति सुन्डी, पिता– स्व० बीर सिंह सुन्डी, ग्राम– संकोसाई, पो०– नरसण्डा, थाना– मुफ्फसिल, परगना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम जाति 'हो' (अनुसूचित जनजाति) के साथ चिकित्सा उपचार हेतु 3,96,000.00 (तीन लाख छियानवे हजार) रूपये की आवश्यकता होने के कारण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत बिक्री किये जाने की अनुमति की मांग को लेकर प्रारम्भ किया गया है। आवेदन के साथ क्रेता एवं विक्रेता का स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। प्रमाण पत्र के अनुसार क्रेता एवं विक्रेता सदर चाईबासा अंचल के मतकमहातु (महुलसाई), एवं संकोसाई मौजा के निवासी है, जो मुफ्फसिल थाना के अंतर्गत आता है तथा इनका जाति 'हो' है जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जिसके आलोक में उनके पत्रांक– 1165 दिनांक– 24.11.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा द्वारा आवेदित भूमि विक्री करने की अनुशंसा की गयी है। प्रतिवेदन के अनुसार खाता संख्या– 30, प्लॉट संख्या– 1310, रकवा– 1.10 एकड़ भूमि विक्रेता के पिता के नाम हालसर्वे खतियान में दर्ज है। पिता के मृत्यु के पश्चात् अपने हिस्से की भूमि बेचना चाहता है। मुण्डा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आम सूचना/सर्वसाधारण नोटिस में अंशदारों का हस्ताक्षर/अनापत्ति प्रमाण दिया गया है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि आवेदक को आपसी परिवारिक वांटवारा में मिला हुआ भूमि है। दिनांक– 28.09.2021 को क्रेता बिक्रेता की उपस्थिति में सुनवाई की गई है। सुनवाई के क्रम में आवेदित भूमि विक्रेता ने क्रेता शान्ति सुन्डी को बेचने का अनुरोध लिखित व्यान द्वारा किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के द्वारा विक्री अनुमति की अनुशंसा की गई है। आम सूचना निर्गत किया गया था, जिसके उपरान्त कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा के जाँच प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि ब्रिकी के पश्चात् विक्रेता के पास 2.15 एकड़ भूमि अवशेष बचता है, जो भरण पोषण के लिए पर्याप्त है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है तथा दोनो 'हो' जाति के हैं तथा अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है।	

Scanned with OKEN Scanner

आंदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख के साथ
	अतः आवेदक के आवेदन, अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदित भूमि मौजा– मतकमहातु, थाना संख्या– 642, खाता संख्या– 30, प्लॉट संख्या– 1310, रकवा– 0.03 डिसमिल 143 वर्गकड़ी भूमि क्रेता शान्ति सुन्डी, पिता– स्व० बीर सिंह सुन्डी, ग्राम– संकोसाई, पो०– नरसण्डा, थाना– मुफ्फसिल, परगना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम जाति 'हो' (अनुसूचित जनजाति) के अन्तर्गत आते हैं, को आवेदित राशि अथवा सरकार द्वारा निर्धारित राशि जो अधिक हो पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46(1) प्रोभिजो 'ए' के अन्तर्गत बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।	

Digitally signed by Kamleshwar Narayan
Date: 2024.07.15 14:05:52 +05:30
Location: 192.168.29.87

Scanned with OKEN Scanner